भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 590/कोष/2014/प्रशिक्षण-।। दिनांक 21 अगस्त, 2014

सेवा में

सभी राज्यों संघ/राज्य क्षेत्रों (हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड और महाराष्ट्र को छोड़कर) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचक नामावली से संबंधित मामलों पर व्यापक प्रशिक्षण।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान आयोग के दिनांक 21.7.2014 के पत्र सं. 23/2014-ई आर एस की ओर आकृष्ट कराने का निदेश हुआ है, जिसमें अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2015 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व इसके लिए ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ के प्रशिक्षणों के लिए चलाई जाने वाली पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। पुनरीक्षण-पूर्व तथा पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं के महत्व और ई-नामावली की सटीकता और गुणवत्ता पर उनके प्रभाव, हर-संभव सुविधा के साथ विधिवत रूप से पंजीकृत होने संबंधी पात्र मतदाताओं की हकदारी तथा इस तथ्य पर गौर करते हुए कि इन महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल क्षेत्र पदाधिकारियों (जिनमें से कुछ स्थानांतरणों, भर्ती, आदि के कारण इन कार्यों को पहली बार कर रहे होंगे) को फिर से जानकारी दिए जाने तथा उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे उन्हें सौंपे गए अधिदेश को दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से निष्पादित कर पाएं, अपनी शंकाओं का निराकरण, अपनी समस्याओं को दूर और कमियों को पूरा कर सके, आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि इन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बेहद व्यवस्थित तरीके से आयोजित हों और उनके प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त समय के साथ-साथ वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ है।

2. अत: ऊपर संदर्भित पत्र के क्रम में, पुनरीक्षण पूर्व और पुनरीक्षण गतिविधियों से जुड़े ईआरओ, एईआरओ और अन्य संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से राज्य/डिवीजन मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ये अधिकारी बीएलओ के प्रशिक्षण के लिए विधान सभा स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों (एएलएमटी) के रूप में कार्य करेंगे, ये प्रशिक्षण उनकी सहायता से जिला/विधान सभा खण्डों के भीतर आयोजित होंगे। ये सभी प्रशिक्षण दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 के मध्य और निश्चित रूप से संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिवधियां आरंभ होने से पहले आयोजित होंगे। यदि बीएलओ और ईआरओ संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित भी किए गए होंगे तो भी उन्हें इस परिपत्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में उक्त अवधि के दौरान फिर से प्रशिक्षित किया जाना होगा।

3. आयोग ने राज्य/डिवीजनल मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु 400/- रु. प्रतिदिन तथा जिला/विधान सभा खण्ड पर प्रशिक्षणों के लिए प्रति प्रशिक्षु 100/- रु. प्रतिदिन देने के निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित तथा प्रथम किस्त के रूप में दी जा रही धनराशि का ब्यौरा अनुलग्नक-। में देखा जा सकता है। (भारत निर्वाचन आयोग के व्यापक प्रशिक्षण हेतु पिछले वर्ष जारी धनराशि की पहली किस्त के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र और अन्य विवरण प्रस्तुत न करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों और मांगे गए अन्य विवरण को प्रस्तुत करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग के व्यापक प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निर्धारित धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे)। इस धनराशि का उपयोग उपकरण और स्थल को किराए पर लेने और अन्य संभारिकी व्यवस्था, पर्चे एवं अन्य प्ररूप और स्टेशनरी, खाने-पीने की वस्तुएं मुहैया कराने, प्रशिक्षकों एवं प्रेक्षकों आदि को मानदेय देने जैसी मदों पर प्रशिक्षणों में होने वाले व्यय को वहन करने के लिए किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध हुई धनराशि से कोई भी व्यय करते समय जीएफआर-2005 और भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रशिक्षणों पर किए गए व्यय से संबंधित सभी बिल, वाउचर आदि उनके स्वयं के कार्यालयों अथवा उनके

राज्यों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में सावधानी पूर्वक और सुरक्षित तरीके से अवश्यक रखे जाएं। ये दस्तावेज बाद में आयोग या उक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकृत/हकदार किसी अन्य एजेंसी/स्रोत द्वारा मांगे जा सकते हैं।

4. प्रशिक्षण और संदर्भ सामग्री भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और इनका उपयोग प्रशिक्षणों के लिए किया जाएगा। [प्रशिक्षण सामग्री के लिए http://eci.nic.in/eci_main1/tm.aspx देखें]। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यदि चाहे बेहतर उपयुक्तता और स्थानीय अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण सामग्री को संशोधित कर सकते हैं। तथापि, इस प्रशिक्षण सामग्री में सन्निहित किए गए ऐसे किसी भी प्रशिक्षण में शामिल किए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तथा पाठ्यक्रम संबंधी अनुलग्नक-**2** (इस परिपत्र का) में यथा उल्लिखित विषय-वस्तु को ऐसे किसी भी प्रशिक्षण में शामिल किया जाना अवश्य ही अपेक्षित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्री का स्थानीय संस्करण भी तैयार करवाएंगे।

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों से सभी प्रशिक्षणों की गुणवत्ता, समय-निर्धारण और समुचित आयोजन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाएंगे:-

-) प्रशिक्षणों के बारे में अग्रिम योजना बनाई जाएगी तथा एटीआई और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों/स्थलों, जहां इन प्रशिक्षणों का आयोजन हो सकता हो, के साथ अग्रिम तौर पर गठबंधन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस परिपत्र के अनुलग्नक-**3** में उल्लिखित प्रारूप में भारत निर्वाचन आयोग को अग्रिम तौर पर प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं की जानकारी देंगे।
-) प्रशिक्षण आयोजित करते समय प्रशिक्षुओं के बैच का आकार **30** से लेकर **50** के मध्य होगा। यदि किसी समय प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाती है तब यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक एकल बैच में व्यक्तियों की संख्या **50** से अधिक न हो, एक से अधिक बैच बनाए जा सकते हैं।
-) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का न्यूनतम **20** प्रतिशत तथा प्रशिक्षण कि किसी भी दिन न्यूनतम दो सत्रों में भाग लेने के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करें। दिन में न्यूनतम दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए प्रत्येक ऐसे प्रशिक्षण प्रेक्षक को **500**/- रु. की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा। आयोजित होने वाला प्रशिक्षण सत्र न्यूनतम **75** मिनट की अवधि का होगा। प्रशिक्षण प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुलग्नक-**4**क में दिए गए प्रपत्र में सौंपेगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इन रिपोर्टों को संकलित करेंगे तथा इनका उपयोग आयोग को उपयोग प्रमाणपत्रों के साथ भेजे जाने वाले अनुलग्नक-**4**ख के प्रपत्र को तैयार करने में करेंगे।
-) प्रशिक्षकों को इन प्रशिक्षणों के दौरान न्यूनतम **75** मिनट की अवधि के प्रत्येक सत्र के लिए **250**/- रु. की दर से मानदेय भी दिया जाएगा।
-) प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संबंधी कार्य-विधियां उपयोग में लाई जाएंगी ताकि प्रशिक्षणों को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जा सके। इनमें पीपीटी, सामूहिक-अभ्यास, भूमिका-निर्वहन, गहन-चर्चा, विचार-विमर्श, प्रश्नोत्तरी, छद्म-प्ररूप भरना और अन्य अभ्यास आधारित कवायदें आदि शामिल की जाएंगी।
-) इस परिपत्र के अनुलग्नक-**2** पर इन प्रशिक्षणों में शामिल पाठ्यक्रम और अनुपालन की जाने वाली क्रिया-विधियों के बारे में कुछ संकेतात्मक बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। क्षेत्र में तैनात सभी संबंधित अधिकारियों और प्रशिक्षकों द्वारा इनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इन प्रशिक्षणों के दौरान **(1)** प्रेरणा और ई-नामावली की गुणवत्ता और सटीकता तथा इस संदर्भ में, ई आर ओ/ए ई आर ओ और बी एल ओ की भूमिकाओं के महत्व [i], **(2)** प्रत्येक बी एल ओ को सौंपे गए मतदान केन्द्रों तथा प्रत्येक ई आर ओ/ए ई आर ओ को आबंटित विधान सभा क्षेत्रों की संबंधित ई-नामावली की वास्तविक स्थिति के विश्लेषण तथा त्रुटि/समस्या की पहचान तथा तत्पश्चात् बी एल ओ रजिस्टरों के इष्टतम प्रभावी उपयोग पर चर्चा सहित चिह्नित मुद्दों के निराकरण हेतु रणनीतियां तैयार करने, **(3)** घर-घर जाने को और अधिक उपयोगी बनाने[ii], **(4)** प्रक्रिया एवं विधि संबंधी अनुशासन की महत्ता[iii], **(5)** समावेशन एवं सुविधा[iv], **(6)** पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों[v], **(7)**

बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा इस परिपत्र की समाप्ति पर दी गई संख्याकित पाद-टिप्पणियों और इसके अनुलग्नक-2 में किए गए उल्लेख के अनुसार, प्रशिक्षण समाप्ति पर सहभागिता मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

) बी एल ओ को कहा जाएगा कि वे इन प्रशिक्षणों से पूर्व अपने बी एल ओ रजिस्टरों को अवश्य पूरा करें तथा अद्यतन बनाए तथा अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी समूची बी एल ओ किट के साथ इन्हें अवश्य लाएं।

) प्रशिक्षुओं से यह कहा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि वे प्रशिक्षणों के दौरान ही स्वयं से संबंधित क्षेत्रों की संबंधित नामावली की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने तथा अग्रिम तौर पर त्रुटि/समस्या की पहचान करने सहित इनके प्रत्युत्तर में उक्त त्रुटियों/समस्याओं को दूर करने की रणनीतियां भी तैयार कर लें। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

भारत निर्वाचन आयोग का आई टी प्रभाग बी एल ओ रजिस्टर में निहित संबंधित प्रपत्रों में ई आर एम एस आंकड़ों का उपयोग करते हुए मतदान केन्द्र और विधान सभा स्तरों पर नामावली में सुगम एवं स्वचालित स्थिति विश्लेषण एवं त्रुटि-पहचान हेतु ई आर ओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऑनलाइन टूल मुहैया करा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के आई टी प्रभाग द्वारा जारी संबंधित नवीनतम सॉफ्टवेयर राज्य स्तर पर ई आर एम एस डाटाबेसों से जोड़े जाएंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों और ई आर ओ के स्थानीय कॅम्प्यूटरों पर डाउनलोड और इन्सटॉल किए जाएंगे। तत्पश्चात इनका उपयोग ई आर ओ (अथवा जिला निर्वाचन अधिकारियों) द्वारा इनमें से किसी भी प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षुओं को बुलाए जाने से पूर्व निम्नलिखित को तैयार और मुद्रित कराने के लिए किया जाना चाहिए:

- ई आर ओ के प्रशिक्षण के लिए
  i. वे ई आर एम एस आंकड़ों के आधार पर अपने विधान सभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केन्द्रों के लिए मतदान केन्द्र-वार संभावित त्रुटियों संबंधी रिपोर्टें तैयार और मुद्रित कराएंगे। (यह नोट किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग के ई आर एम एस एप्लीकेशन साफ्टवेयर द्वारा ई-नामावली में कम से कम 17 विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की पहचान हो सकती है)।
- बी एल ओ के प्रशिक्षण के लिए
  i. वे बी एल ओ हैंडबुक में प्रदर्शित बी एल ओ रजिस्टर के अनुलग्नक 7.1 (अध्याय X) में निहित प्रपत्रों (हाइपरलिंक http://eci.nic.in/eci.main/ElectoralLaws/HandBooks/Handbook_BLO.pdf पर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद बीएलओ हैंडबुक की पीडीएफ के पृष्ठ 142 पर उपलब्ध) के अनुसार मतदान केन्द्र-वार स्थितिपरक विश्लेषण रिपोर्टें तैयार और मुद्रित करवाएंगे।
  ii. वे ई आर एम एस आंकड़ों के आधार पर मतदान केन्द्र-वार संभावित त्रुटियों संबंधी रिपोर्टें (17 प्रकार की त्रुटियां) तैयार और मुद्रित करवाएंगे।
  iii. वे मतदान केन्द्र-वार नामावली की कार्य प्रतियां तैयार और मुद्रित कराएंगे।

यह ई आर ओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि वे इन रिपोर्टों को मुद्रित कराएं तथा संबंधित क्षेत्रों की नामावलियों के लिए प्रशिक्षु बी एल ओ तथा ई आर ओ/ए ई आर ओ को इन्हें उपलब्ध कराएं।

प्रशिक्षु, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने संबंधित क्षेत्रों की संबंधित नामावलियों की वास्तविक स्थिति विश्लेषण और संभावित त्रुटियों की अग्रिम पहचान के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षक इन रिपोर्टों पर विचार-विमर्श तथा सहभागी सोच को प्रोत्साहित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभागी प्रशिक्षु इन प्रशिक्षणों के दौरान ही अपने से संबंधित क्षेत्रों की संबंधित नामावली में त्रुटियों को दूर करने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्पष्ट रणनीतियां तैयार करेंगे।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के ई आर एम एस साफ्टवेयर का प्रयोग न करके अपने ई आर एम एस साफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, वे ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अपना इसी प्रकार का साफ्टवेयर टूल विकसित करेंगे तथा इन प्रशिक्षणों के पहले उन्हें स्थापित और उन्हें इस्तेमाल में लाएंगे।

) सभी पदाधिकारी, जिन्हें राज्य/डिवीजनल मुख्यालयों में या जिलों/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण समाप्ति मूल्यांकन से होकर गुजरेंगे तथा इसकी सूचना आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस परिपत्र के अनुलग्नक-**5** और अनुलग्नक-**6** की तालिका **6.2** के अनुसार दी जाएगी। सभी प्रशिक्षुओं के लिए एक परीक्षा होगी जिसके पश्चात् प्रश्नों के दिए गए उत्तरों पर प्रशिक्षकों की अगुवाई में चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात् व्यक्ति दर व्यक्ति मूल्यांकन होगा जिसमें प्रशिक्षु एक दूसरे के उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे। **50** प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रशिक्षु सफल घोषित किए जाएंगे। **50** प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करनेवाले प्रशिक्षुओं को दोबारा प्रशिक्षण लेना होगा। ऐसे दोबारा प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी और इसलिए इसका दावा भारत निर्वाचन आयोग से न किया जाए।

) मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुलग्नक-**5** में दिए गए प्रपत्र में भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग को आयोजित प्रशिक्षणों के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इन प्रशिक्षणों के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु कोई आवश्यकता/मांग है या नहीं, इन प्रशिक्षणों के समाप्त होने के तत्काल बाद तथा अधिकतम **31** अक्तूबर, **2014** तक निम्नलिखित रिपोर्टों के साथ उपयोग प्रमाण-पत्र और अधिक धनराशि की मांग **(**यदि कोई हो**)** भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उपयोग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से स्वयं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नीली स्याही में हस्ताक्षरित किए जाएंगे। अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई हो, इन प्रशिक्षणों की समाप्ति पर तत्काल आयोग को वापस अंतरित कर दी जाएगी। इन प्रशिक्षणों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई जाने वाली अपेक्षित रिपोर्टें और दस्तावेज निम्नलिखित हैं**:**

i. अनुलग्नक-**6:** इन प्रशिक्षणों के संबंध में, तालिका **6.1** और **6.2** तथा इन प्रशिक्षणों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग **(**यदि कोई हो**)** या वापस की जा रही धनराशि **(**यदि कोई हो**)** का विवरण सहित स्वयं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नीली स्याही में हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र, मूल रूप में।

ii. अनुलग्नक-**5:** प्रशिक्षित किए गए विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षुओं की संख्या तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर मूल्यांकन से होकर गुजरने वाले प्रशिक्षुओं के विवरण सहित आयोजित प्रशिक्षणों के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट।

iii. अनुलग्नक-**4**ख**:** प्रशिक्षण प्रेक्षकों की रिपोर्टों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट।

7. आयोग इन प्रशिक्षणों की निगरानी के लिए किसी बाह्य एजेंसी/तृतीय पक्षकार की नियुक्ति कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारियों को भी विभिन्न स्थानों पर इन प्रशिक्षणों की निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। अत**:** प्रशिक्षण संबंधी सभी योजनाओं, स्थलों आदि का ब्यौरा इस परिपत्र के अनुलग्नक-**3** में दिए गए प्रपत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग को अधिकतम **30** अगस्त, **2014** तक उपलब्ध करा दिया जाए।

8. इन प्रशिक्षणों के बारे में भारत निर्वाचन आयोग से किए जाने वाले सभी पत्र-व्यवहार आवश्यकतानुसार किसी अन्य पते पर किए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित ई-मेल पते पर अनिवार्यत**:** ई-मेल किए जाएं**:**

casctrg20142015@gmail.com

(जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, उपयोग प्रमाण पत्र अनिवार्यत: मूल रूप में उपलब्ध कराए जाने होंगे)।

भवदीय,
ह०/-
(एस.बी. जोशी)
अवर सचिव

पाद-टिप्पणियां **(**कृपया परिपत्र का पैरा **5**च देखें**)**

टिप्पणी i **.** पैरा **5**च**:**
i. अपने कार्य के प्रति प्रशिक्षु बी एल ओ और ई आर ओ/ए ई आर ओ को **प्रेरित** करने क लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने होंगे**:**

1. निम्नलिखित के **महत्व** पर चर्चा की जाएगी**:**

क**.** **निर्वाचक नामावली का महत्व** – ये किस प्रकार से राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय डाटाबेस हैं- ये किस प्रकार से निर्वाचनों के संचालन आदि में सहायता करते हैं।

ख**.** **निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता और सटीकता का महत्व**- किसी निर्वाचन की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कैसे प्रभावित होती है यदि नामावली सटीक और सही न हो - नामावली में सही प्रविष्टि मतदाता के लिए कैसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नामावली में जैसा उसका व्यक्तिगत आंकड़ा दर्ज होगा वैसे ही वह उसके एपिक में प्रदर्शित होगा - नामावली में किसी मतदाता का नाम न होना कैसे मायने रखता है क्योंकि इसके कारण वह न तो मतदान कर पाएगा और न ही उसके पास एपिक होगा - कैसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन में लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है यदि उसका नाम सही ई-नामावली में न हो।

ग**.** **उच्च गुणवत्ता और सटीक नामावली तैयार करने के अवसर के रूप में सक्षिप्त पुनरीक्षण का महत्व** - किसी प्रकार से विभिन्न गतिविधियों, जो संक्षिप्त पुनरीक्षण का भाग होती हैं, जैसे मतदान केन्द्र यौक्तिकीकरण, कामचलाऊ प्रतियों की सहायता से नामावलियों की पुन**:** जांच, घर-घर जाना, दावों और टिप्पणियों को प्राप्त करना तथा उनका निपटान आदि में गंभीर, सतर्क और व्यवस्थित दृष्टिकोण सहायता कर सकता है।

घ**.** **उच्च गुणवत्ता और सटीक नामावली तैयार करने में एक बी एल ओ की भूमिका का महत्व** - लोग अक्सर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सामने आई विभिन्न कठिनाइयों के लिए आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क साधते हैं। अत**:** बी एल ओ/आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रतिनिधि बन जाता है - इस पद में 'शक्ति' है - साथ ही साथ 'उत्तरदायित्व' भी है, जो महत्वपूर्ण है - किस प्रकार से बी एल ओ द्वारा किए गए विभिन्न कार्य उच्च गुणवत्ता और सटीक नामावली तैयार करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं- पुनरीक्षण-पूर्ण और पुनरीक्षण के दौरान बी एल ओ के कार्यों की विशेष रूप से चर्चा की जाए- इनमें (i) संभावित दोहरे नामों के सत्यापन, (ii) त्रुटियों की अग्रिम तौर पर पहचान, (iii) घर-घर जाने, (iv) बेहद युवा/बेहद वृद्ध/प्रवासी अन्यत्र चले गए/ए एस डी सूची/कॉलोनी के नए मतदाताओं पर निगरानी, (v) विभिन्न प्रपत्रों, फोटो आदि को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना तथा उन्हें बिना विलंब के ई आर ओ को सौंपना, (vi) नियत स्थलों पर नियत समय पर उपलब्ध प्ररूपों को भरने में लोगों की सहायता करना, सामान्य रूप से पंजीकरण में लोगों को सुविधा प्रदान करना, (vii) बी एल ओ रजिस्टरों को पूर्ण और अद्यतन बनाए रखना, (viii) मतदान केन्द्र आदि के स्तर पर नामावलियों की स्थिति का विश्लेषण करना, इस बात पर चर्चा करना कि इनमें से प्रत्येक कार्य को बी एल ओ द्वारा किस प्रकार से और अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए किस प्रकार से घर-घर जाकर बी एल ओ द्वारा संकेन्द्रित और प्रासंगिक प्रश्न पूछकर तथा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर इनमें से प्रत्येक कार्य को कैसे और अधिक फलदायी और प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे कार्यों पर चर्चा पर शामिल होगी।

ङ**.** **उच्च गुणवत्ता और सटीक नामावली तैयार करने में ई आर ओ/ए ई आर ओ की भूमिका का महत्व** - किस प्रकार से ई आर ओ/ए ई आर ओ अपनी ई-नामावली का अभिरक्षक होता है और वह ऐसा महत्वपूर्ण प्राधिकारी होता है जो उसकी गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित कर सकता है - किस प्रकार से दावों और टिप्पणियों पर उसके अर्द्ध न्यायिक निर्णय नामावली में अंतर ला सकते हैं - किस प्रकार से वे ई-नामावली के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता ला सकते हैं और नागरिक हितैषी बना सकते हैं।

2. बी एल ओ/ई आर ओ/ए ई आर ओ द्वारा किए गए **अच्छे कार्यों के उदाहरणों** पर चर्चा की जानी चाहिए।

3. बी एल ओ/ई आर ओ/ए ई आर ओ के **आपत्तिजनक आचरण के उदाहरणों** पर भी चर्चा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर साधारण निर्वाचन **2014** से पूर्व गुड़गांव में नामावली से संबंधित स्टिंग आपरेशनों पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही इस प्रकार की स्थितियों से किस प्रकार बचा जाए इस पर चर्चा की जा सकती है।

टिप्पणी ii. पैरा **5**छ**:**

ii. प्रशिक्षण के दौरान इस बात पर विस्तृत और गहन चर्चा की जा सकती है कि **किस प्रकार से बी एल ओ घर-घर जाने को और अधिक उपयोगी और दक्ष बना सकते हैं।** इस बात पर विचार-विमर्श होना चाहिए किस प्रकार से वे विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग प्रश्न पूछे ताकि मैत्रीपूर्ण तरीके से सटीक उत्तर का पता चल जाए। प्रशिक्षण सामग्री में सूचीबद्ध विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद प्रतिभागियों को भूमिका निर्वहन के लिए कहा जाना चाहिए **(**घर-घर जाने वाले बी एल ओ तथा घर के लोगों की छद्म भूमिकाएं निभाकर तथा बी एल ओ के घर-घर जाने पर होने वाली बात-चीत का मंचन**)**। प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें सवाल पूछने की सही शैली के बारे में बताया जाएगा ताकि वे सटीक उत्तर का पता लगा पाएं तथा शिष्टता और पेशेवर ढंग से पेश आएं।

टिप्पणी iii. पैरा **5**छ**:**

iii. **प्रशिक्षण के दौरान उदाहरणों के साथ और तर्कों के आधार पर प्रक्रिया और विधि संबंधी अनुशासन के महत्व** पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिए। इनके कुछ उदाहरण हो सकते हैं **(1)** बी एल ओ, आम जनता से एकत्रित किए गए सभी प्ररूप, दस्तावेज़, फोटो, आदि बिना विलंब के ई आर ओ/ए ई आर ओ को सौंपे, **(2)** जब कभी आवश्यक हो, बी एल ओ द्वारा सावधानीपूर्वक घर-घर जाने/क्षेत्र सत्यापन का कार्य किया जाए, **(3)** ई आर ओ द्वारा दावों और आपत्तियों के निपटान, विशेषकर स्वत**:** विलोपन के मामले में तर्कों के आधार पर स्पष्ट आदेश, **(4)** ई आर ओ दावों और आपत्तियों के मामलों के निपटान के लिए उचित एवं औपचारिक केस रजिस्टर अवश्य रखेंगे, **(5)** गलत विलोपन तथा थोक नामों को जोड़ने/हटाने से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी, **(6)** पहचान, क्षेत्र सत्यापन और दोहरे नामों या अन्य प्रकार की त्रुटियों को दूर करने में समुचित सावधानी रखी जाए, **(7)** बेहद युवा/बेहद वृद्ध/प्रवासी अन्यत्र चले गए/ए एस डी सूची के मतदाताओं के बारे में सुव्यवस्थित कार्रवाई की जाए, **(8)** पुनरीक्षण-पूर्व सभी गतिविधियां बेहद सावधानी से निष्पादित की जाएं आदि।

टिप्पणी iv. पैरा **5**ज**:**

iv. इन प्रशिक्षणों में प्रत्येक प्रशिक्षण के दौरान **समावेशन और सुविधा** पर गहन चर्चा होनी चाहिए। कतिपय श्रेणियों जैसे महिलाओं, अन्य जेंडर, सेवा मतदाताओं, सचल जनसंख्या, किराएदारों, पटरियों पर रहने वालों, प्रवासी कामगारों, कॉलेज के छात्रों आदि को शामिल न करने की प्रवृत्ति पर कारणों सहित चर्चा और रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए ताकि सामाज की वंचित श्रेणियों को बेहतर तरीके से शामिल करना सुनिश्चित हो सके। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से निर्धारित आयु से कम लोगों के पंजीरकण पर लगाम लगाते हुए युवा पंजीकरण को बढ़ाया जाए। इनमें स्वीप संबंधी गतिविधियों और सुविधा संबंधी उपायों पर गहन चर्चा की जानी चाहिए। पहले से पंजीकृत मतदाताओं, जो अपने सामान्य निवास स्थल को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जैसे मामलों पर आगे चर्चा की जानी चाहिए **(**यदि उनका नाम एक स्थान से हटा दिया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए उनका नाम वहां पुन**:** पंजीकृत हो जहां वे चले गए हैं, जागरूकता एवं सुविधा संबंधी उपाय किए जाने चाहिए**)**।

टिप्पणी v. पैरा **5**छ**:**

v. **पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों**, जैसे मतदान केन्द्र यौक्तिकीरकण **(**प्रति मतदान केन्द्र मतदाताओं की निर्धारित अधिकतम संख्या और भाग क्षेत्र में मतदाओं के लिए निर्धारित अधिकतम यात्रा दूरी सुनिश्चित करने के लिए**)**, फोटो-संग्रहण, दोहरें नामों और अग्रिम त्रुटि की पहचान, यथा अपेक्षित समावेशन पर चर्चा की जानी चाहिए। इनमें से प्रत्येक गतिविधि के महत्व पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

टिप्पणी vi. पैरा **5**छ**:**

vi. भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विषय पर **बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों** पर चर्चा की जानी चाहिए। बहुधा पूछे जाने वाले किसी अन्य प्रश्न पर भी चर्चा की जाए।